

प्रेषक,

निदेशक,  
पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,  
अनुदान सं०-83  
तेरह अंको का कोड-2515007890401

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/  
आहरण-वितरण अधिकारी उ०प्र०,

मथुरा, मैनपुरी, पीलीभीत, कानपुर नगर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, रायबरेली, खीरी, ललितपुर, सिद्धार्थ  
नगर, फिरोजाबाद, महोबा, बलरामपुर, सन्त कबीर नगर तथा सम्मल।

संख्या- 1/616/2019-1/04/2019 :

लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 2020

**विषय:** चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान की मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,


उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-12/2019/794/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अपर मुख्य सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के पत्र सं०-5/2019/वे०आ०-2-245/दस-2019-04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रूपया-44,66,52,494/- (रूपया चौवालिस करोड़ छियासठ लाख बावन हजार चार सौ चौरान्बे मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
11. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
12. बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

13. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
14. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
16. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
17. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 1- कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिक्विसिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2- वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो, तो उसकी सूचना दिनांक 29.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-08 पर अंकित है।


संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
  
 (किरण सिंह)  
 निदेशक,  
 पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या: 1/616/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- ✓ एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
 (ब्रजेश कुमार)  
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

**Allotment Grid Report**

**वित्तीय वर्ष:-2019-2020**  
**आवंटन दिनांक-14/02/2020**

**प्रेषण संख्या:-** 1-616-2019-01-04-2019  
**आवंटन आदेश संख्या:-** 010-01-04-2019

**अनुदान संख्या:-** 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

**लेखाशीर्षक:-** 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

04 - पंचायती राज संस्थाएँ

01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	मधुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	180672 182205164	3949305 30147430	0 606588	326522 17721596	0 6199538	4456499 236880316
2	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10999671 137098294	177873 20568504	0 443933	0 9111035	0 4537145	11177544 171758911
3	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1254357 201856332	5756207 31768276	0 680482	0 13359000	0 6954758	7010564 254618848
4	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7423014 207674791	914361 31092479	0 663525	0 20520964	0 15950030	8337375 275901789
5	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	9778445 368680274	22122324 88774808	0 16841243	0 39770575	37566023 51466650	69466792 565533550
6	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	70595026 334443777	97304746 128586596	0 1415107	0 43500000	0 24662879	167899772 532608359
7	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	39997735 475910268	16181332 78425822	10000000 11597560	750000 49361461	10000000 26327610	76929067 641622721
8	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7665762 73890057	2350576 11306831	0 254797	0 5746006	0 2604121	10016338 93801812
9	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 123697665	0 17035342	0 395953	493106 9290470	0 4046776	493106 154466206
10	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10408026 142021844	2506696 20280137	0 529932	0 10770314	0 5416093	12914722 179018320
11	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	4360301 373454498	18965964 59113252	0 1276392	0 55000000	0 13045164	23326265 501889306
12	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 141967939	0 20723455	0 523957	63750 11504241	0 5355019	63750 180074611
13	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2493615 79448805	2194910 12417859	0 275158	0 7000000	0 2812215	4688525 101954037
14	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	14660514 73739814	4068829 12358345	0 228313	22440 5256207	10000000 12333442	28751783 103916121

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55-मकान किराया भत्ता	योग
15	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3768426 270673626	1491294 39244116	0 880945	0 27068557	0 9003565	5259720 346870809
16	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 111375339	15860672 29037156	0 412653	0 9654645	0 4217458	15860672 154697251
	योग	वर्तमान प्रगामी	183585564 3298138487	193845089 630880408	10000000 37026538	1655818 334635071	57566023 194932463	446652494 4495612967

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवालीस करोड़ छियासठ लाख बावन हजार चार सौ चौरानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब उनचास करोड़ छप्पन लाख बारह हजार नौ सौ सरसठ



(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी